17/4/22 = पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 5 के वकील उपस्थित। पत्रावली आज बास्ते आदेश पेश हुई। आदेश खुला के लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय सुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 08/17

अपीलाण्ट

1. केली पुत्री भींयाराम पत्नी भगाराम उम्र 57 वर्ष जाति विश्नोई निवासी सनावाडा कला तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
2. शांतिदेवी उर्फ जमना पुत्री भींयाराम पत्नी हरीराम उम्र 40 वर्ष जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भाखरपुरा
2. रिड़मलराम पुत्र भीयाराम उम्र 55 वर्ष
3. सोनाराम पुत्र भींयाराम उम्र 45 वर्ष
4. सोनाराम पुत्र भींयाराम उम्र 35 वर्ष
5. लाधूराम पुत्र भींयाराम
   जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. सुगणी पत्नी भींयाराम फौत के कायम मुकाम अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5
7. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरण आदेश संख्या 94 दिनांक 19.12.1996 ग्राम बारूडी जो ग्राम पंचायत भाखरपुरा द्वारा पारित किया गया

उपस्थित :—

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री बाबूलाल बिश्नोई अधिवक्ता उत्तरदातागण सं. 5

–:: **आदेश** ::–

दिनांक : 12/04/22

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धरा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता व उत्तरदाता संख्या 2 से 5 के पिता एवं उत्तदाताता संख्या 6 के पति की खातेदारी भूमि ग्राम बारूडी के खसरा नम्बर 223 रकबा 65—10 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 51—11 बीघा, खसरा नम्बर 373 रकबा 24—04 बीघा (वर्तमान खसरा नम्बर 373 रकबा 4—00 बीघा, खसरा नम्बर 373/2 रकबा 4—17 बीघा, 373/3 रकबा 4—17 बीघा, 373/4 रकबा 4—17 बीघा) का आया हुआ था, जिस पर अपीलान्ट के पिता भींया का कब्जा काश्त होने से भीया के नाम से वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान जारी हुआ, भीया के देहान्त पर भीया की फौतगी पर उत्तराधिकारी की नामान्तरकरण संख्या 94 पटवारी हल्का भाखरपुरा द्वारा खोला कर उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 से 6 के नाम किया गया तथा अपीलाण्ट का नाम उत्तरदाता संख्या 2 से 6 के साथ इस नामान्तरण में अंकित नहीं किया गया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार स्व0 भीया के विधिक वारिसान अपीलांट्स (पुत्रियां), उत्तरदाता संख्या 2 से 5 (पुत्र), व उत्तरदाता संख्या 6 पत्नी थे, जिससे अपीलाण्ट का भी उक्त नामान्तरकरण में अंकित किया जाना था। स्व0 भीया की फौतगी पर खोले गये विरासत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:40:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

उक्त नामान्तकरण संख्या 94 पर पारित उत्तरदाता संख्या 1 के आदेश को निरस्त कर अपीलाण्ट को उत्तरदाता संख्या 2 से 6 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट का नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड की दुरस्ती की जाये। अपील के साथ अपीलाण्ट्स द्वारा अपील पेश करने में हुये संभावित तवलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया।

अपीलाण्ट्स की अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदाता संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपीलाण्ट्स की अपील व धारा–5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का लिखित जबाव पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि उत्तरदाता संख्या 2 से 5 के खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की है, अपीलाण्ट्सगण शादीसुदा औरतें हैं जिनका विवाह आज से करीवन 30–32 वर्ष पूर्व हो चुका है, अपीलान्टगण विगत 30–32 वर्षो से लगातार अपने ससुराल में निवास कर रही हैं तथा अपने पति की सम्पति में उनका हिस्सा निहित हो चुका है, अपीलाण्टगण के विवाह के समय उनके पिता व भाईयों उत्तरदाता संख्या 2 से 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि के हक हिस्से के सम्बन्ध में नकद, गहने आदि के रूप में दिया जा चुका था, जिस कारण अपीलाण्टगण का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा? अपीलान्टगण ने भी अपना हक हिस्सा प्राप्त होना मानकर नामान्तकरण पारित होने के करीब 22 वर्षों तक कोई उजर एतराज नहीं किया परन्तु अव भूमि की कीमतों में बढोतरी होने के कारण अपीलान्टगण ने अपने ससुराल पक्ष के बहकावे व प्रभाव में आकर दोहरा लाभ प्राप्त करने हेतु यह म्याद बाहर अपील पेश की है, अपीलाण्टगण को आलोच्य नामान्तरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 26.05.2017 को होना बताया है परन्तु दिनांक 26.05.2017 को अपीलान्टगण को जानकारी किस प्रकार से हुई है के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के बारे में दिन–ब–दिन ठोस व युक्तियुक्त कारण दर्शाना आवश्यक है। अपीलाण्टगण ने विलम्ब के बारे कोई कारण नहीं दर्शाया है जिससे साबित है कि अपीलान्टगण को आलोच्य नामान्तकरण के बारे में प्रारम्भ से ही जानकारी थी इस कारण अपीलान्टगण की अपील प्रथमदृष्टया ही म्याद बाहर होने से खारिज की जावे।

हमने दौनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील उत्तरदाता संख्या 5 ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने उक्त 22 वर्षों की असाधारण देरी से अपील प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण अपने आवेदन में अंकित नहीं किया है जो कारण अपील में अंकित किया गया है वह मानने लायक नहीं है, अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान दिनांक 26.05.2017 को कैसे हुआ, कब हुआ और किसके मार्फत हुआ, अपीलान्ट ने इस आवेदन में कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया है, अपीलाण्ट की अपील करीब 22 वर्षों की असाधारण देरी से प्रस्तुत की गई होने से म्याद बाहर होने से मय खर्चा खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलाण्टगण शादीसुदा महिला हैं तथा लगभग 30–32 वर्षों से अपनी ससुराल में निवास कर रही हैं, अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील के कथनों से भी उक्त विवादित आराजी पर अपीलाण्टगण का कब्जा काश्त होना सिद्ध नहीं होता है, तथा ना ही अपीलाण्ट ने इस सम्बन्ध में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील में अपीलान्टगण से यह तथ्य अंकित किया है कि पैतृक आराजी को उत्तरदातागण बेचान करने पर उतारू है जिसका विरोध करने पर अपीलाण्टगण को यह कहकर हस्तक्षेप करने से रोक दिया कि राजस्व रेकर्ड में उनका नाम नहीं है। राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से उक्त विवादित आराजी का उत्तरदातागण संख्या 2 ता 5 के मध्य बंटवाडा होकर अलग–अलग राजस्व अभिलेख भी संधारित हो चुका है। अलावा इसके अपीलाण्ट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजसव अधिनियम के तहत 22 वर्षों के अन्तराल के बाद इस अपील के माध्यम से खातेदारी अनुतोष की इश्तदुआ चाही गई है। इस प्रकार अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। अपीलाण्टगण द्वारा उक्त अपील 22 वर्ष की असाधारण देरी से पेश करने का कोई ठोस व युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अपीलाण्ट द्वारा अपील 22 वर्ष के असाधारण देरी का कारण सिद्ध नहीं होने एवं लिमिटेशन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/9/2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested